

कुलसचिव

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,  
वाराणसी-2

संख्या-कु0स0/3/0 /2A साप्र-I(रा0से0यो0)/2015

दिनांक- 09 जुलाई, 2015

सेवा में

विज्ञापन मैनेजर

दैनिक समाचार-पत्र "हिन्दुस्तान" एवं "दैनिक जागरण"  
वाराणसी।

महोदय,

कृपया अधोलिखित विज्ञापन को अपने दैनिक समाचार-पत्र में सम्मुखांकित तिथि को निर्दिष्ट संस्करण में 60 वर्ग सेमी0 स्थान में प्रकाशित कर उन संस्करण की दो-दो प्रतियाँ कार्यालय के उपयोग हेतु और बिल की दो प्रतियाँ (रिट लिस्ट सहित) के साथ संलग्न कर भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

- (1) "हिन्दुस्तान" : "वाराणसी संस्करण" में दिनांक 09-07-2015  
(2) "दैनिक जागरण" : "वाराणसी संस्करण" में दिनांक 10-07-2015

**महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी**

**उत्तर प्रदेश अधिनियमित राज्य विश्वविद्यालय**  
**विज्ञापन संख्या-1/2015**

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी में अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक-राष्ट्रीय सेवा योजना के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता सम्पन्न विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक अध्यापक सुसंगत प्रमाण-पत्र सहित अपना संक्षिप्त जीवन-वृत्त (बायोडाटा) एक आवेदन-पत्र के साथ उपस्थित होकर अथवा रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा प्रेषित करें जो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 03-08-2015 तक प्राप्त हो जाय। अन्य विस्तृत विवरण एवं अर्हताएं विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.mgkvp.ac.in](http://www.mgkvp.ac.in) पर उपलब्ध है।

कुलसचिव

30/7  
कुलसचिव  
श्री विनोद

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा0कुलपति जी, सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी।
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक।
4. कुलानुशासक।
5. पुस्तकालयाध्यक्ष-केन्द्रीय पुस्तकालय/मुख्य गृहपति/गृहस्वामिनी-छात्रावास।
6. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव।
7. समस्त प्राचार्य-सम्बद्ध महाविद्यालय को वेबसाइट के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
8. श्री विनोद कुमार, प्रभारी-कम्प्यूटर सेण्टर - उपर्युक्त विज्ञापन एवं अन्य विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करायें।

श्री विनोद  
9/7/15

कुलसचिव  
श्री विनोद

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक-राष्ट्रीय सेवा योजना के पद पर नियुक्ति हेतु अर्हताएँ

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत कार्यक्रम समन्वयक के पद के लिये निम्नलिखित अर्हताएँ निर्धारित की गयी हैं :-

- (क) आवेदक को इस विश्वविद्यालय या सम्बद्ध कालेज में रीडर/प्रवक्ता (चयन वेतनमान), प्रवक्ता (वरिष्ठ वेतनमान) पद पर कार्यरत होना चाहिए।
- (ख) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों के प्रधानाचार्य जिन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना की पृष्ठभूमि तथा रीडर का दर्जा प्राप्त हो, को भी समन्वयक की नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।
- (ग) ऐसे अध्यापक जो राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम अधिकारी के पद पर न्यूनतम तीन वर्ष तक रहे हों।
- (घ) आवेदक को प्रशिक्षण तथा अभिविन्यास केन्द्र/प्रशिक्षण, अभिविन्यास तथा अनुसंधान केन्द्र से राष्ट्रीय सेवा योजना पर अभिविन्यास किया होना चाहिए।
- (ङ) कार्यक्रम समन्वयक के चयन के समय आवेदक को पचास वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

कुलसचिव